

FORM NO. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत 24/2/24 अधिवक्ता मुकाम राजगढ़

भद्रावती बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 LRA नं. 5 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
21/2/24	<p>पञ्जावली पेश हुई। पञ्जिलो द्वारा फल सूचना/प.ओ. सा. के राज्य कार्य में व्यस्त होने से जमरल जारी रख पेशी हो ई गत आवेद की पालना में पञ्जावली दिनांक 10.04.24 को पेश हो।</p> <p>हस्ताक्षर/रीडर</p>	<p>PO साहब ARO Training के व्यस्त</p>
12/04/24	<p>पञ्जावली रिपोर्ट 10.04.24 का अवकाश होने के कारण आज पेशा हुई। PO साहब बुलाव नहीं के व्यस्त पञ्जा. रिपोर्ट 30/07/24 में पेश हो।</p>	
20/5/24	<p>पञ्जा० पेशा हुई। वहीलगाए आवेद से पलका रिपोर्ट इम्पार्ट / पलका रिपोर्ट भिय्यापे जाने हेतु वहीलगाए आवेद के कारण पञ्जा भिय्यापे जाने। पञ्जा० दिनांक 12/6/24 को पेश हो।</p> <p>Manish</p>	
12/06/24	<p>पञ्जा० पेशा हुई। वहीलगाए आवेद से पलका रिपोर्ट इम्पार्ट / पलका रिपोर्ट भिय्यापे जाने हेतु वहीलगाए आवेद कारण पञ्जा भिय्यापे जाने। पञ्जा० दिनांक 26/06/24 को पेश हो।</p> <p>Manish</p>	

श्रीगवती / सरकार

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख  
हुकम

26.06.24

फा.पेश हुई। वकीलों द्वारा 1/11/24 से  
रिपोर्टिंग मंगवाये जाने के पत्रावली  
का फा.दिनांक 29/7/24 को पेश  
हो। *Mona*

29/7/24

फा.पेश हुई। वकीलों द्वारा 1/11/24 से  
रिपोर्टिंग मंगवाये जाने के फा.दिनांक 16/9/24  
को पेश हो। *Mona*

18/9/24

दिनांक 16/9/24 का अवकाश होने के  
कारण फा.पेश हुई। पत्रावली  
अन्य काम के कारण 23/9/24 को पेश हो। *Qd*

23/9/24

फा.पेश हुई। फा.पेश 14/10/24  
को पेश हो। *Mona*

14/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा का.  
स्थगन/P.O. सा. के राज्य कार्य में  
व्यस्त होने से जनरल जारीख पेशी हो  
गई गत आदेश की पालना में पत्रावली  
दिनांक 6/11/24 को पेश हो।

6/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा का.  
स्थगन/P.O. सा. के राज्य कार्य में  
व्यस्त होने से जनरल जारीख पेशी हो  
गई गत आदेश की पालना में पत्रावली  
दिनांक 14/11/24 को पेश हो।

4/12/24

फा.पेश हुई। वकीलों द्वारा 1/11/24 से  
रिपोर्टिंग मंगवाये जाने के फा.दिनांक 22/1/25 को पेश हो। *Mona*

22/1/25

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा का.  
स्थगन/P.O. सा. के राज्य कार्य में  
व्यस्त होने से जनरल जारीख पेशी हो  
गई गत आदेश की पालना में पत्रावली  
दिनांक 19/2/25 को पेश हो।

*Qd*

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुये

श्रीगवती काय सरकार  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुये

11/2/25

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली द्वारा पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा. के राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल जारी पेशी हो गई गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 20/4/25 को पेश हो।

12/3/25

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा. के राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल जारी पेशी हो गई गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 24/6/25 को पेश हो।

30/4/25

04/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थी पत्रावली के संबंध तहसीलदार राजाखेटा के पत्रावली 616 दिनांक 6/3/25 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्तु और रिपोर्ट दिनांक 25/6/25 को पेश हो।

25/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रा.पत्रावली अन्तर्गत 136 LRA की पालना की जा चुकी है। तहसीलदार राजाखेटा से प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थी पत्रावली की जा चुकी है। अतः पत्रावली में अल कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली केसल शुमार होकर डाखिल इन्तर है।

पुनश्च पत्रावली प्र. प्राप्त रDR report दिनांक 06/03/25 का अवलोकन किम्। अतः रिपोर्ट

# शिववती का मरण

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

अनुसार शिववती 3874 रकबा 0.5691 है।  
शिववती पत्नी सुन्दरसिंह जाति राजपूत  
दि. 1/6 को 24 खातदार रज है। प्राथिमा के  
प्रस्तुत प्रमाणों में धारा 136 के तहत यह  
अनुमान है कि प्राथिमा की जाति मुसलमान  
के स्थान पर जाति राजपूत रज किसे जमाने  
कादेश किसे जमाने मुताबक जाय तदर  
प्राथिमा की जाति राजस्व रिकार्ड में  
राजपूत ही रज है। अतः जाति सुद्धे  
है, कोई कार्यवाही वतमान में किम्प  
जाना अपेक्षित नहीं है। प्राथिमा द्वारा  
अन्ध अनुमान डिक्री की पालना हेतु  
चाहा जाय है। उक्त अनुमान धारा  
136 L.R. Act की पालना में नहीं दिख  
जा सकता है। डिक्री की पालना हेतु  
प्राथिमा नियमानुसार न्यायलय में प्रमाणों  
प्रस्तुत कर अनुमान प्राप्त कर सकते  
हैं। अतः प्राथिमा का प्रमाण अनुमान  
धारा 136 L.R. Act की शर्त पर  
स्वीकार किम्प जाता है।



26/6/24

उपखण्ड अधिकारी  
राजाखेड़ा (धौलपुर)